E-Content

Master of Arts (History)

Darbhanga House, Patna University, Patna-800005

Semester-II

Course Code-CC-VI

Course Name: (History of Europe & Modern World 1919-2000)

Unit-IV

नि:शस्त्रीकरण की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध

अविनाश कुमार

सहायक प्रोफेसर -इतिहास

पटना कॉलेज, पटना

6202393206 & avinashisavailable@gmail.com

निःशस्त्रीकरण का एक प्रतीक

नि:शस्त्रीकरण क्या है?

- नि:शस्त्रीकरण की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि शस्त्रास्त्र सैन्य बलों को विघटित कर देने तथा आयुधों को समाप्त कर देने पर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विकसित होगा, जिसमें युद्ध के स्थान पर शान्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस प्रकार - ''नि:शस्त्रीकरण उस महाविनाश को रोकने का एक प्रयास है जो युद्ध के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है और जिससे सम्पूर्ण मानवता की हानि होती है।'' मार्गेन्थो ने नि:शस्त्रीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है - ''शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या उसी प्रकार के शस्त्रें की समाप्ति या कटौती नि:शस्त्रीकरण कहलाती है।''

नि:शस्त्रीकरण का एक दूसरा प्रतीक

मन और वचन की एकता के बिना नि:शस्त्रीकरण असंभव है।

- राष्ट्र संघ के संविधान में धारा 8 के अंतर्गत शान्ति स्थापना के लिए राष्ट्रीय शास्त्रास्त्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप कम करने के लिए नि:शस्त्रीकरण समझौतों का प्रयास करने का प्रावधान किया गया। लीग की सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों को शस्त्र नियंत्रण को स्वीकार करने की शर्त स्वीकार करना अनिवार्य था। 28 जून 1919 की वर्साय संधि को स्वीकार करने वाले देशों ने राष्ट्र संघ के सदस्यों के रूप में अपनी सैनिक शक्ति में कमी लाने का प्रथम व्यवहारिक प्रयास किया। इसके अंतर्गत विजेता राष्ट्रों द्वारा हारे हुए देशों का अनिवार्य नि:शस्त्रीकरण किया।

- राष्ट्रसंघ ने अपनी नि:शस्त्रीकरण की कार्य योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए- 1। स्थायी परामर्शदाता आयोग - राष्ट्रसंघ ने नि:शस्त्रीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनवरी, 1920 में स्थायी परामर्शदाता आयोग की स्थापना की। विशुद्ध सैनिक संगठन होने के नाते यह नि:शस्त्रीकरण की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सका। इसलिए नवम्बर, 1920 में इसमें 6 असैनिक सदस्यों को शामिल करके इसे अस्थायी मिश्रित आयोग में बदल दिया गया। अत: इससे नि:शस्त्रीकरण की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई।

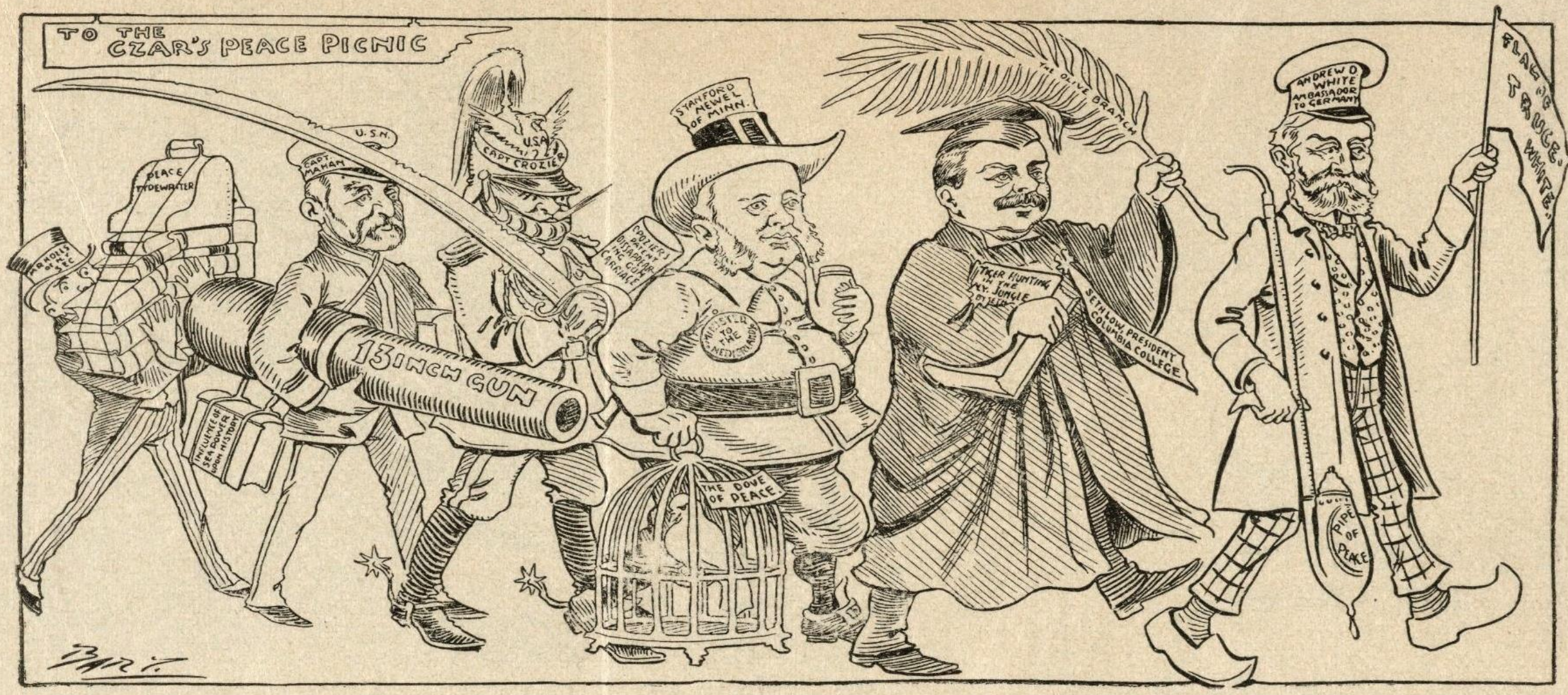

BE IT PEACE OR WAR, UNCLE SAM WILL BE WELL REPRESENTED AT THE HAGUE.

—*The Journal, Minneapolis.*

बैठकों में हर देश अपने हितों को बचाना और दूसरों को नियंत्रित करना चाहते थे।

CURRENT CARTOONS.

- **जेनेवा प्रोटोकोल** - इसका उद्देश्य मध्यस्थता द्वारा सुरक्षा और सुरक्षा से नि:शस्त्रीकरण के प्रयास करना था। 15 जून, 1925 को प्रोटोकोल का अनुसरण करते हुए सामान्य नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाने पर विचार विमर्श हुआ लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रयास राष्ट्रसंघ द्वारा जेनेवा प्रोटोकोल व्यवस्था के तहत किया गया नि:शस्त्रीकरण का प्रयास असफल हो गया।

- **जेनेवा नौ-सेना सम्मेलन** - अमेरिका की पहल पर 1927 में एक नवीन नौ सैनिक समझौता करने हेतु जेनेवा में सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस व इटली इसमें शामिल नहीं हुए। अमेरिका, जापान व ब्रिटेन के मध्य विचार विमर्श तक ही यह सम्मेलन सिमटकर रह गया। इन तीनों देशों में भी आपस में आप सहमति नहीं बन सकी। अत: यह सम्मेलन भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

शास्त्रों की मीनार से शांति पाठ नहीं हो सकता

शास्त्रों को शांत किए बिना शांति का कबूतर उड़ नहीं सकता

- **शस्त्रीकरण आयोग** - 1924 में अस्थायी मिश्रित आयोग द्वारा काम करना बन्द कर देने पर इसकी जगह राष्ट्र संघ ने सज्जीकरण आयोग की स्थापना की। इसका कार्य नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए तैयारी करना था। इस आयोग ने 1930 तक नि:शस्त्रीकरण मतभेदों को दूर करने में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की। 1930 में व्यापक विचार विमर्श के बाद इस आयोग ने अपनी कार्य योजना का ढांचा पेश किया। इस योजना की मुख्य बातें थी:

- रासायनिक तथा जीवाणु फैलाने वाले युद्धों पर रोक लगाई जाए।
- स्थल युद्ध की सामग्री का मात्रत्मक तथा गुणात्मक परिसीमन किया जाए।
- अनिवार्य सैनिक सेवा को निश्चित सीमा तक कम किया जाए।
- हवाई अस्त्रें को अश्व-शक्ति के आधार पर सीमित किया जाए।
- स्थायी नि:शस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की जाए।

निर्बलों को शांति संदेश शुरू से ही सबल देते आए हैं।

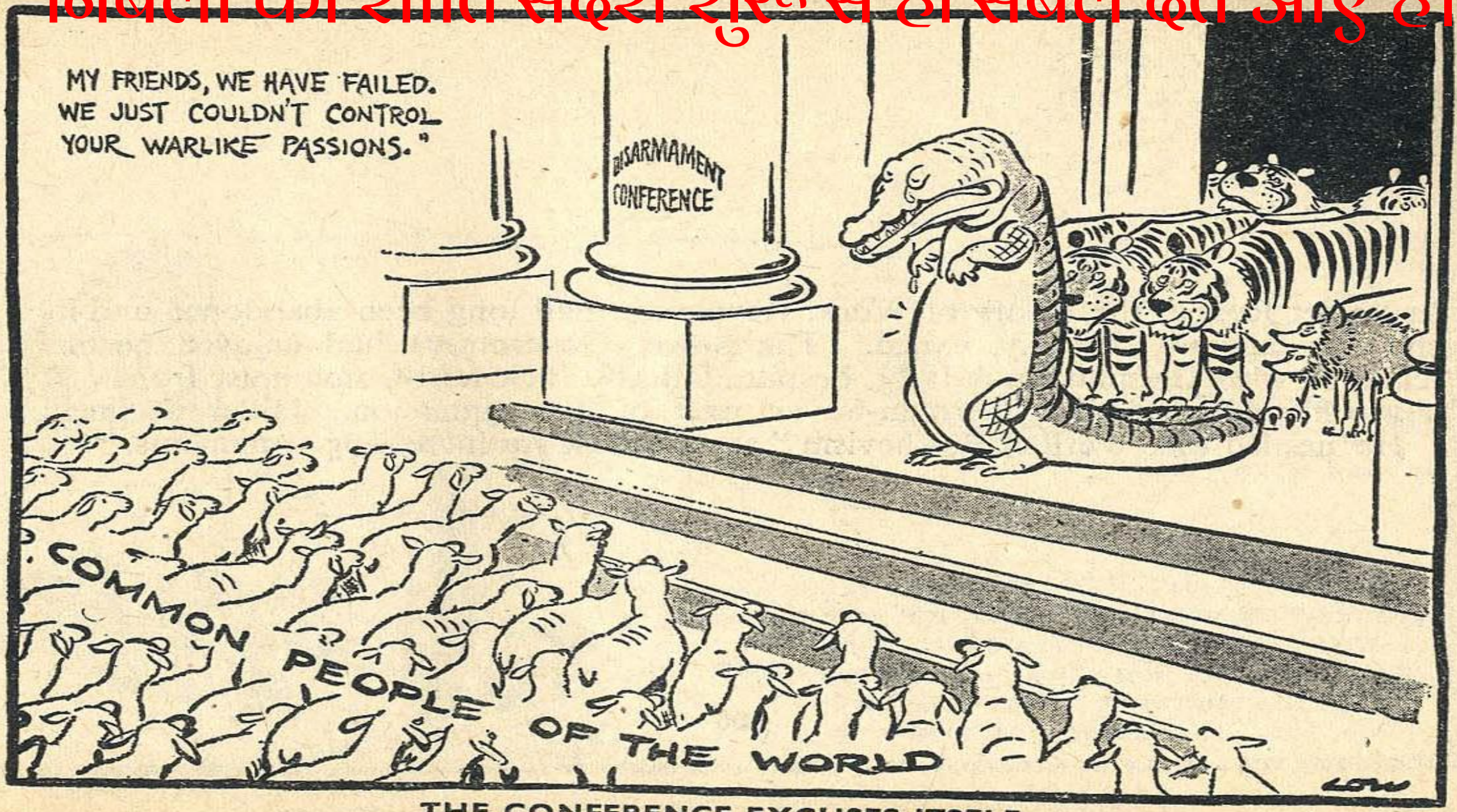

THE CONFERENCE EXCUSES ITSELF

- **जेनेवा सम्मेलन** - सज्जीकरण आयोग की प्रमुख बातों को ही ध्यान में रखकर 13 फरवरी, 1932 को राष्ट्र संघ का नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन जेनेवा में हुआ। इसमें 61 राष्ट्रों के 232 प्रतिनिधियों ने अपने 337 प्रस्तावों सहित भाग लिया। यद्यपि यह सम्मेलन नि:शस्त्रीकरण की दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास था लेकिन मंचूरिया संकट की काली छाया भी इस पर पड़ी। इस सम्मेलन में इन बातों पर विचार हुआ।
- आक्रमणकारी को कठोरतापूर्वक सजा देना तथा पंचनिर्णय को अनिवार्य बनाना।
- विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करना।
- राष्ट्र संघ की सुरक्षात्मक शक्ति का विकास अर्थात दण्डात्मक सेना का निर्माण
- लेकिन परस्पर सहयोग की भवना के अभाव के कारण यह सम्मेलन असफल रहा।

- इस सम्मेलन में प्रत्येक देश अपनी-अपनी धाक जमाने की फिराक में था। जर्मनी ने शस्त्रास्त्रें में समान कटौती का विचार रखा। उसने कहा कि वर्साय की सन्धि के अनुसार जो अन्याय उसके साथ हुआ था उसे समाप्त किया जाए। अब उसे भी अन्य यूरोपीय शक्तियों के समान ही सैन्य शक्ति का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। जब उसकी बात को मानने से इंकार कर दिया गया तो उसने राष्ट्र संघ के इस नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन से दूर होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के भेदभावपूर्ण व्यवहार व गलत नीतियों के कारण नि:शस्त्रीकरण के इस व्यवस्थित प्रयास को गहरा आघात पहुंचा।

राष्ट्र संघ के बाहर किए गए प्रयास

- 1919 से 1939 तक विभिन्न देशों ने विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपस में अनेक वार्ताएं की जिससे नि: शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस दौरान किए गए नि: शस्त्रीकरण के प्रयास हैं –
- **वाशिंगटन नौ सैनिक सम्मेलन** - यह सम्मेलन 12 नवम्बर, 1921 से 6 फरवरी, 1922 तक वाशिंगटन (अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन में सात सन्धियां की गई। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बैल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल, चीन व जापान के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न देशों में नौ सेना के विस्तार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शान्ति में बाधक प्रतिस्पर्धा को रोकना था। इस सम्मेलन में 'नौसैनिक प्रतिस्पर्धा परिसीमन सन्धि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। इस सन्धि में नवीन विशाल नौ सैनिक पोत बनाने; अड्डे स्थापित करने, वर्तमान नौ सैनिक अड्डों की नए सिरे से किला बन्दी करने पर सहमति हुई। लेकिन इस सम्मेलन में पनडुब्बियों; छोटे युद्धपोतों, विध्वंसकों के सम्बन्ध में कोई आम राय नहीं बन सकी। फ्रांस ने इस सन्धि का समर्थन नहीं किया। इसलिए इसका व्यापारिक रूप नहीं बन सका और अंतर्राष्ट्रीय नौ-सैनिक शक्तियों में निर्णय प्रतिस्पर्धा जारी रही।

- **लन्दन नौ-सेना सम्मेलन -** 1927 के जेनेवा सम्मेलन के असफल रहने पर नवीन प्रयास के रूप में प्रथम लन्दन नौसेना सम्मेलन 21 जनवरी 1930 को प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में नौ सैनिक शक्ति को समतुल्यता के आधार पर घटाने के लिए सभी देशों को कहा गया। इटली ने फ्रांस के साथ, जापान ने ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ समतुल्यता शक्ति को घटाने पर विचार किया। इसमें हुए सन्धि के कारण अमेरिका तथा जापान ने ब्रिटेन के साथ मिलकर क्रूजरों, विध्वंसकों तथा पनडुब्बियों में भार वाहक क्षमता को सीमित करना स्वीकार किया। फ्रांस तथा इटली ने इस सन्धि पर अपनी असहमति व्यक्त की। इस सन्धि की प्रमुख बातें थीं:
- इस सन्धि के अनुसार ब्रिटेन ने 5, अमेरिका ने 3 तथा जापान ने 1 बड़ा युद्ध पोत नष्ट करने पर सहमति जताई।
- पांच महाशक्तियों ने 1936 तक नए युद्धपोतों के निर्माण पर रोक लगा दी।
- सामान्य युद्ध पोतों पर 5/1 इंच से अधिक तथा बड़े युद्ध पोतों पर 6/1 इंच से अधिक व्यास की तोपें न लगाने पर सहमति हुई।
- इसमें पनडुब्बियों का आकार 2000 टन तक घटाने पर समझौता हुआ। लेकिन इस सन्धि का एक दोष यह था कि इसकी एक धारा में हस्ताक्षर करने वाले देशों को यह अधिकार दिया गया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति खराब हो जाती है तो सन्धिकर्ता देश फिर से शस्त्रास्त्रें का निर्माण कर सकते हैं। यही प्रावधान इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था।

- **द्वितीय लंदन नौ-सेना सम्मेलन -** इसका प्रयास 1935 में अन्तिम रूप से साकार हुआ। यह सम्मेलन 9 दिसम्बर, 1935 से आरम्भ होकर 25 मार्च 1936 तक चला। इस सम्मेलन में सभी महाशक्तियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जापान ने ब्रिटेन और अमेरिका के बराबर जल सेना रखने की मांग की। प्रथम सम्मेलन की तरह यह भी परस्पर विरोधी मांगों का अखाड़ा मात्र बन गया। इटली ने भी फ्रांस के साथ नौ सैनिक शक्ति की समतुल्यता की मांग की। इस तरह जापान और इटली ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। इस सन्धि पर केवल अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने ही हस्ताक्षर किए। लेकिन जापान और इटली के सहयोग के बिना यह सम्मेलन अधिक सफल नहीं रहा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने केवल भविष्य में नौ-सेना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों की सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान करने का निर्णय किया।
- इस प्रकार इस दौरान किए गए सन्धियां व समझौते किसी बाध्यकारी शक्ति के अभाव के कारण असफलता का ताज बनते गए और विश्व के अनेक देशों में परस्पर वैमनस्य की भावना बढ़ती रही। सभी महाशक्तियों ने शस्त्र दौड़ को जारी रखा। अन्त में शस्त्र प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कटुता पैदा कर दी और इसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई।

- इन प्रयासों की विफलता के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण सदस्य राष्ट्रों की उद्देश्य के प्रति अन्यमनस्कता रही। एकजुट होकर प्रयास करने की जगह वे सब एक-दूसरे का पैर खींचने में लगे थे। हर किसी की तिरछी निगाह दूसरे को गिराने पर टिकी थी। अपने आपको नियंत्रित करने की जगह सब दूसरे को नियंत्रित करना चाह रहे थे। ***इस स्थिति पर कटाक्ष करते हुए एक स्पेनिश समाजवादी प्रतिनिधि*** *माद्रियागा* ***ने एक बैठक में बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई थी:*** *एक बार जंगल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए जानवरों ने एक सभा बुलाई। हिरणों ने कहा कि शेर के दाँत और नाखून काट देने चाहिए। शेर ने कहा कि हिरणों के तेज दौड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाय। चूहों ने कहा कि साँपों के जहर निकाल देने चाहिए। छोटे जानवरों ने कहा कि हाथी और गेंडे को छोटा बना देना चाहिए।”* अर्थात कोई अपनी ताकत को घटाना नहीं चाह रहे थे।

- तय था ऐसे माहौल में नि:शस्त्रीकरण के प्रयास मृग-मरीचिका ही साबित होते।

SUGGESTED READINGS:

- 1. F.LEE BENNS — EUROPE SINCE 1914
- 2. A.J.P. TAYLOR — ORIGINS OF THE SECOND WORLD WAR
- 3. E.M.BARNS — WESTERN CIVILIZATION (VOL-III)
- 4. E.H. CARR — INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN THE WORLD WARS-1919-1939
- 5. NORMAN LOWE — MASTERING MODERN WORLD HISTORY
- 6. G.M.S. HARDY — SHORT HISTORY OF INTERNATIONAL AFFAIRS 1920-1939
- 7. S.N. DHAR — INTERNATIONAL RELATIONS & WORLD POLITICS SINCE 19119
- 8. PARTHA SARTHI GUPTA — EUROPE KA ITIHAS, BHAG-II
- 9. LAL BAHADUR VERMA — EUROPE KA ITIHAS, BHAG-II
- 10. DEVENDRA SINGH CHAUHAN — SAMKALEEN EUROPE, BHAG-II
- 11. C. WOODROFF — MODERN WORLD
- 12. M. MARRIOT — INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN THE TWO WORLD WARS